नीति विषयक पत्र सं. आर बी/सी ई/19/2003

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

सं. 2003/सी ई-I/जी एन एस/1/प्रेम ग्रुप नई दिल्ली, दिनांक : 5 . 2 . 03

महाप्रबंधक,
सभी क्षेत्रीय रेलें

विषय : बोर्ड का 8.10.2003 का समसंख्यक पत्र.
(नीति विषयक पत्र सं. आर बी/सी ई/11/2003)

.....

रेलपथ निरीक्षकों को रेलपथ अनुरक्षण की अपनी कठिन ड्यूटियों जिनमें निरीक्षण तथा अनुपालन सुनिश्चित करने का कार्य शामिल है, पर मनोयोग से कार्य करने देने के मुद्दे को विभिन्न स्टेशनों पर आयोजित किए जाने वाले संरक्षा संवादों में तथा प्रेम की बैठक में संघ के प्रतिनिधियों द्वारा बार-बार उठाया जाता रहा है. फील्ड कर्मचारियों ने संरक्षा संवादों में भी बताया है कि वरिष्ठ अधिकारियों के बड़ी संख्या में दौरों/निरीक्षणों के कारण उनका अधिकांश समय इन निरीक्षणों में उनके साथ रहने में व्यतीत हो जाता है.

2. बोर्ड ने इस मामले पर आगे विचार किया है और वांछा की है कि रेलपथ निरीक्षकों को साधारणतया परेशान नहीं किया जाना चाहिए और उन्हें केवल तभी साथ चलने के लिए कहा जाना चाहिए यदि निरीक्षण विशेष तौर पर रेलपथ मदों से संबंद्ध हों. उच्च अधिकारियों के अन्य दौरों/सामान्य निरीक्षणों के मामले में इन रेलपथ निरीक्षकों को रेलपथ अनुरक्षण संबंधी गतिविधियों पर मनोयोग से कार्य करने के लिए परेशान नहीं किया जाना चाहिए.

प्रमोद कुमार
(प्रमोद कुमार)
कार्यपालक निदेशक, सिविल इंजी (सा.)
रेलवे बोर्ड.